अध्यक्ष महोदय

2453
16/6/04

असंशोधित

14 JUN 2004

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर *)

बि० स० मु० (एस० ए०) 85--मोनो--500--13-3-2002--,

तारांकित प्रश्न संख्या-२३७.

श्री अब्दुल बारी सिद्धीकी, मंत्री : महोदय, खंड-(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड-(२) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । राजधानी एवं आस-पास के क्षेत्रों में बिक्री कर की चोरी रोकने के लिए समय-समय पर सघन अभियान चलाकर मोबाईल चेंकिंग, व्यापारिक परिसर, गोदाम का निरीक्षण एवं ट्रांसपोटरों के गोदामों का निरीक्षण किया जाता रहा है । इस संबंध में प्रतिवेदन माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा को इस कार्यालय के पत्रांक १०१, दिनांक १२.०६.०४ द्वारा प्रेषित किया गया है ।

खंड-(३) प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राजन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, संबंधित पत्र-१८८ दि० ३०.०४.०२ को लिखा गया था जिसकी सूचना विभाग द्वारा दि० ०६.०१.०४ को दिया गया, आखिर इतना लेट क्यों ? दूसरी बात है कि विभागीय पत्रांक-१०१, दि० १२.०६.०४ के संबंधित प्रतिवेदन के क्रमांक-८, १४,१५,१६,१८ पर राजस्व की वसूली शून्य है, आखिर क्यों? इस राजस्व की वसूली कम होने पर सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री अब्दुल बारी सिद्धीकी : महोदय, मैंने पहले ही खंड-२ के उत्तर में कहा है कि सघन अभियान चलाकर मोबाईल चेकिंग किया जाता है, व्यापारिक परिसरों, गोदामों, ट्रांसपोटरों वगैरह का जाँच किया जाता है । चूंकि, काफी लम्बा प्रतिवेदन होता है, फिर भी मैंने विभाग को कहा है कि माननीय सदस्य को इसकी सूचना होनी चाहिए थी और मेरे पहल पर पत्रांक-१०१ दि० १२.०६.०४ के द्वारा माननीय सदस्य को इसकी सूचना दी गई । महोदय, जहाँ तक इस अभियान के द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर उन पर जो कर अधिरोपित किये गये और जो वसूली की गई, उसके भी डिटेल सूचना है । अगर माननीय सदस्य चाहेंगे या आपका आदेश होगा तो माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है, उसकी एक प्रति माननीय सदस्य को दे दीजिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-२३८.

श्री उपेन्द्र प्र० वर्मा, मंत्री : महोदय, खंड-(१) केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर्स संवर्ग के पैटर्न पर निजी सहायक संयुक्त संवर्ग के वरीय निजी सहायक को आप्त सचिव के पद पर पदनामित करने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संबंधित संचिका सरकार के स्तर पर विचाराधीन है । संबंधित संचिका में निर्णय होने के पश्चात पदनामित करने संबंधी आदेश निर्गत किया जा सकेगा ।

खंड-(२) इसका उत्तर कंडिका-१ में दे दिया गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री गणेश पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि, क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग द्वारा पाँच महीनें पूर्व सहमति प्रदान किये जाने के बावजूद अभी तक आदेश निर्गत नहीं किया गया है ?

अध्यक्ष : आप बैठिये । अभी मा० मंत्री ने वही कहा है कि उच्चस्तर पर लम्बित है । मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर पर लम्बित है, उस पर विचार हो रहा है ।